

आदेश ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 315/2021 (धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन)
आई सी आई सी आई बैंक लिमिटेड, पता-तृतीय तल, जे एस ई एल बिल्डिंग, मालवीय नगर,
जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय बैंक

बनाम

1. आर.के. टायर्स जरिये प्रोपराईटर राजेश कुमार यादव
पता :-ट्रांसपोर्ट नगर, कोटपूतली, जयपुर।
एवं झुझावाली ढाणी, तहसील बानसूर, जिला अलवर।
2. श्री राजेश कुमार यादव पुत्र श्री जौहरी राम यादव
पता :-वार्ड नम्बर 30, कोटपूतली, जिला जयपुर।
एवं झुझावाली ढाणी, तहसील बानसूर, जिला अलवर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर


The application under section 14 of The Securitization and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security
Interest Act, 2002

उपरिस्थित :- मनोज कुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय बैंक की ओर से।


आदेश

दिनांक 21.03.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 29.05.2019 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री राजेश कुमार यादव के स्वामित्व की सम्पत्ति राजस्व ग्राम खेडकी वीरभान तहसील कोटपूतली जिला जयपुर स्थित खसरा नम्बर 493/2.40 क्षेत्रफल 490.67 वर्गगज नगरपालिका कोटपूतली से जारी पट्टा संख्या 4514 दिनांक 08.03.2019 से सम्पत्तिवर्तित भूमि को बन्धक रख कर राशि 1,00,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 29.05.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।


जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किया गया। अप्रार्थीगण को और से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी बैंक के सुयोग्य अधिकारियों को और से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भौतिक जांचांकन किया गया।
4. पत्रावली के अन्वयानुसार स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थीगणों को राशि 1,00,00,000/- रुपये का ऋण दिया है जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उन्मत्त शर्तित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि नए ब्याज कुल राशि रुपये 1,06,69,151/- रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 29.05.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा विलयने जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
5. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्री राजेश कुमार यादव के स्वामित्व की सम्पत्ति राजस्व ग्राम खंडकी वीरमान तहसील कोटपूतली जिला जयपुर स्थित खसरा नम्बर 493/240 क्षेत्रफल 490.67 वर्गगज नगरपालिका कोटपूतली से जारी पट्टा संख्या 4514 दिनांक 08.03.2019 से सम्परिवर्तित भूमि का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जाये की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने का पबन्ध करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल कर हो।
- आदेश आज दिनांक 21.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।



Rau
21/03/22
(राजन विशाल)
जिला न्यायाधीश
(कलक्टर) जयपुर